

मैनुअल स्कैवेंजिंग को समाप्त करने हेतु पहले

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्र सरकार ने सीवर लाइनों और सेप्टिक टैंकों की मैनुअल सफाई की खतरनाक प्रथा को समाप्त करने और मशीनीकृत सफाई को बढ़ावा देने के लिये दो प्रमुख पहलों की घोषणा की है।

- केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा सीवर लाइनों और सेप्टिक टैंकों की मशीनीकृत सफाई को अनिवार्य बनाने के लिये कानून में संशोधन की घोषणा की गई है, वहीं आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने सफाई मतिर सुरक्षा चैलेंज की शुरुआत की है।

प्रमुख बडि

- कानून में संशोधन: घोषणा के मुताबकि, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राष्ट्रीय कार्ययोजना के हिससे के रूप में 'हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नयोजन का प्रतषिध और उनका पुनरवास (संशोधन) वधियक, 2020' को प्रसतुत कयिा जाएगा।
- इस राष्ट्रीय कार्ययोजना का उद्देश्य मौजूदा सीवेज ससि्टम को आधुनकि बनाना; सेप्टिक टैंक की मशीनीकृत सफाई के लयिे मैला और सेप्टेज प्रबंघन प्रणाली की स्थापना करना, मैले का परविहन और उपचार; नगरपालकिाओं को अत्याधुनकि तकनीक प्रदान करना और मोबाइल हेल्पलाइन के साथ स्वच्छता प्रतकिरयिा इकाइयों की स्थापना करना है।
- वधियक के प्रमुख प्रावधान
 - मशीनीकृत सफाई: प्रस्तावति वधियक में सीवर लाइनों और सेप्टिक टैंकों की मशीनीकृत सफाई को अनिवार्य करने का प्रावधान कयिा गया है, साथ ही वधियक के तहत इस कार्य में शामिल कर्मियों को बेहतर सुरक्षा प्रदान करने और कसिी भी दुर्घटना की स्थति में मुआवज़ा प्रदान करने की बात भी कही गई है।
 - दंड: इस वधियक में जुर्माने की राश और कारावास की अवध किो बढ़ाकर हाथ से मैला ढोने (मैनुअल स्कैवेंजिंग) की कुप्रथा पर रोक लगाने वाले कानून को और अधिक कठोर बनाने का प्रस्ताव कयिा गया है।
 - वर्तमान में कसिी भी व्यकत किो सीवर लाइनों और सेप्टिक टैंकों की सफाई के खतरनाक काम में बनिा अनिवार्य सुरक्षा उपकरणों के शामिल करने पर पाँच वर्ष तक का कारावास या 5 लाख रुपए तक का जुर्माना अथवा दोनों सज़ा का प्रावधान है।
 - कोष: वधियक के तहत सीवर लाइनों और सेप्टिक टैंकों की मशीनीकृत सफाई के लयिे आवश्यक उपकरणों की खरीद हेतु ठेकेदारों या नगरपालकिाओं को पैसा देने के बजाय सीधे श्रमकिों को धन मुहैया कराने का नरिणय लयिा गया है।
- सफाई मतिर सुरक्षा चैलेंज
 - लॉन्च: सफाई मतिर सुरक्षा चैलेंज का शुभारंभ 19 नवंबर, 2020 को वशि्व शौचालय दविस के अवसर पर देश भर के 243 प्रमुख शहरों में कयिा गया है।
 - उद्देश्य: सीवरों और सेप्टिक टैंकों की मैनुअल सफाई की प्रथा को समाप्त करना और मशीनीकृत सफाई को बढ़ावा देना।
 - पात्रता: राज्यों की राजधानयिाँ, शहरी स्थानीय नकिाय और सभी स्मार्ट सटिीज़ इस चैलेंज में हसिसा लेने के लयिे पात्र होंगे।
 - पुरस्कार: शहरों को तीन उप-श्रेणयिों में सम्मानति कयिा जाएगा। ये हैं- 10 लाख से अधिक की आबादी वाले शहर, 3 लाख से 10 लाख तक की आबादी वाले शहर और 3 लाख तक की आबादी वाले शहर। तीनों उप-श्रेणयिों में सभी वजिेताओं को कुल 52 लाख रुपए तक की राश प्रदान की जाएगी।

'मैनुअल स्कैवेंजिंग' का अर्थ

- परभिषा: मैनुअल स्कैवेंजिंग का आशय कसिी व्यकत द्वारा बनिा सुरक्षा उपकरणों के अपने हाथों से मानवीय अपशषिट (Human Excreta) की सफाई करने या ऐसे अपशषिटों को सर पर ढोने अथवा नालयिों, सीवर लाइनों और सेप्टिक टैंकों की सफाई करने की प्रथा से है।
- चतिाएँ
 - राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग (NCSK) के अनुसार, बीते 10 वर्षों में सीवर लाइन और सेप्टिक टैंक की सफाई करते हुए देश भर में कुल 631 लोगों की मौत हो गई।
 - वर्ष 2019 में ऐसे सबसे अधिक सफाई कर्मचारयिों की मौत हुई थी, जनिकी संख्या बीते पाँच वर्ष में सबसे अधिक है।
 - वर्ष 2018 की तुलना में वर्ष 2019 में मैनुअल स्कैवेंजिंग के कारण होने वाली मौतों में 61 प्रतशित की वृद्धा देखने को मलिी थी।
 - सीवेज लाइन और सेप्टिक टैंक की सफाई के लयिे मशीनीकृत प्रणालयिों की शुरुआत के बावजूद इस प्रक्रयिा में अभी भी मानवीय हस्तक्षेप

जारी है।

- वर्ष 2018 में एकत्र किये गए आँकड़ों के मुताबकि, उत्तर प्रदेश में कुल 29,923 लोग मैनुअल स्कैवेंजिंग के कार्य में शामिल हैं, जो कि भारत के किसी भी अन्य राज्य से सबसे अधिक है।

मैनुअल स्कैवेंजिंग की व्यापकता का कारण

- **उदासीन मनोवृत्ति:** कई अध्ययनों में राज्य सरकारों द्वारा इस कुप्रथा को समाप्त कर पाने में असफलता को स्वीकार न करना और इसमें सुधार के प्रयासों की कमी को एक बड़ी समस्या बताया है।
- **आउट सोर्सिंग:** कई बार स्थानीय नकियाय द्वारा सीवर की सफाई का कार्य नजिी ठेकेदारों को सौंप दिया जाता है। इनमें से अधिकांश नजिी ठेकेदार सफाई करमियों की सुरक्षा और स्वच्छता का सही ढंग से ध्यान नहीं रखते हैं।
 - प्रायः यह देखा जाता है कि ऐसे नजिी ठेकेदारों के साथ कार्य करने वाले सफाई करमियों के साथ किसी भी प्रकार की दुर्घटना की स्थिति में ये ठेकेदार पीड़िति के साथ किसी भी प्रकार के संबंध से इनकार कर देते हैं।
- **सामाजिक कारण:** इस प्रकार की प्रथा अक्सर जाति और वर्ग से प्रेरति होती है।
 - यह भारत की जाति व्यवस्था से भी जुड़ी है, जहाँ तथाकथित नचिली जातियों से इस प्रकार के काम की उम्मीद की जाती है।
 - कानून द्वारा मैनुअल स्कैवेंजिंग को समाप्त कर दिया गया है, हालाँकि इसके साथ जुड़े भेदभाव और जातगत पहचान को अभी भी समाप्त किया जाना शेष है।

संबंधित पहलें

- 'हाथ से मैला उठाने वाले करमियों के नयोजन का प्रतषिध और उनका पुनर्वास अधनियम, 2013' में अस्वच्छ शौचालयों के नरिमाण एवं रखरखाव तथा किसी भी व्यक्त को मैनुअल स्कैवेंजिंग के कार्य में संलग्न करने पर पूरी तरह से प्रतषिध लगाया गया है।
 - इसके तहत नगरपालिका द्वारा हाथ से मैला ढोने वाले लोगों की पहचान और उनके पुनर्वास की व्यवस्था करने का भी उपाय किया गया है।
- वर्ष 2014 में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक आदेश के माध्यम से सरकार को यह नरिदेश दिया था कि वह वर्ष 1993 के बाद से मैनुअल स्कैवेंजिंग कार्य करने के दौरान मरने वाले सभी लोगों की पहचान करे और उनके परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा प्रदान करे।
- वर्ष 1993 में भारत सरकार द्वारा 'मैनुअल स्कैवेंजर्स के नयोजन का प्रतषिध और उनका पुनर्वास अधनियम' लागू किया गया, जिसके माध्यम से देश में हाथ से मैला ढोने की प्रथा को प्रतषिधित कर दिया गया तथा इसे संज्ञेय अपराध मानते हुए ऐसे मामलों में एक वर्ष तक के कारावास और जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
 - यह अधनियम देश में शुष्क शौचालयों के नरिमाण को भी प्रतषिधित करता है।
- वर्ष 1989 के अत्याचार नवारण अधनियम ने भी सफाई करमचारियों के लिये काफी महत्त्वपूर्ण कार्य किया है, ज्ञात हो कि भारत में सफाई करमचारियों के रूप में कार्य करने वाले 90 प्रतशित लोग अनुसूचित जाति (SC) से हैं।
- संवधान का अनुच्छेद 21 भारत के प्रत्येक नागरिक को गरमि के साथ जीवन जीने का अधिकार प्रदान करता है।

आगे की राह

- **पहचान और प्रत्यक्ष हस्तक्षेप:** सफाई करमियों को किसी भी प्रकार की सुवधि प्रदान करने से पूर्व यह आवश्यक किउनकी सही ढंग से पहचान की जाए। सही गणना के बना लोगों को लक्षित करना काफी मुश्किल होगा।
- स्थानीय प्रशासन को सशक्त बनाना: 15वें वतित आयोग द्वारा स्वच्छ भारत मशिन को सर्वोच्च प्राथमकता के रूप में चहिनति किये जाने और स्मार्ट सटिीज तथा शहरी वकिस के लिये उपलब्ध धन मैनुअल स्कैवेंजिंग की समस्या को हल करने के लिये एक मज़बूत अवसर प्रदान करता है।
- सामाजिक जागरूकता: मैनुअल स्कैवेंजिंग से जुड़े सामाजिक पहलुओं से नपिटने से पहले यह स्वीकार किया जाना चाहिये कि आज भी यह कुप्रथा जाति और वर्ण व्यवस्था से जुड़ी हुई है, साथ ही इसके पीछे के कारकों को समझना भी आवश्यक है।
- सख्त कानून की आवश्यकता: यदि सरकार द्वारा किसी कानून के माध्यम से राज्य एजेंसियों के लिये मशीनीकृत उपकरण और स्वच्छता सेवाएँ प्रदान करना अनवार्य बना दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में श्रमकों के अधिकारों की अनदेखी करना और भी मुश्किल हो जाएगा।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस